

21/11/26

पञ्जाबी फिरो इन्दी वकील/घरवाली और दारिद्र्य  
 जायजे लागतक गरीब हकदार में कोई परदागत।  
 अधिपत्तय उपस्थित नहीं जाये। हकदार का दायित्व  
 किया। हकदार में वकील घरवाली को हकदार में लगी  
 होये बनेक दायित्व रिफ हुये तर्था गलत कार्यवाही  
 पर रिफायर डे लाय दायित्व दिया गया है।  
 घटने हकदार में किसी प्रकार की कमी पेश नहीं  
 है। अतः वकील का वाद 015 88, 188, 53. R.G. Act  
 कानून दायरी / कानून पैसी व कानून तर्काय में  
 जारी किया जाता है। मिलाय कानून गलत न  
 कर दोहरा दायित्व देफत है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नावां